मुकदमा न. 15/2020

राज्य बनाम पूनमा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकना जो ईस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26/5/2021	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 14/7/2021 को पेश हो। [signature]	
14/7/2021	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण के समन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए। अवसर दिया जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 4/8/2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला-जालोर	
4/8/2021	पत्रावली आज पेश हुई। वादी राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादीगण के समन रजिस्टर्ड भेजने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी राजपेरोकार की बहस सुनी गई। बहस में राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा निवेदन किया कि ग्राम सेवाड़ा के ख. न. 17। रकबा 14.68 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कुल 18 वृक्ष खेजड़ी के काटे है जिसे नीलाम कर भारी से भारी जुर्माना प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पर करने का आदेश न्यायहित में फरमावें। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी तहसीलदार रानीवाड़ा की बहस पर मनन [signature] उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला-जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा जिला–जालोर

तहसीलदार .... बनाम पूनमाराम वगै.

86 .... राज. काश्त. अधि. 1955

15/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो ईश हुए की तामिल में जारी हुए
	किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाड़ा ने प्रतिवादी के आदतन वृक्ष कटाई के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। एवं बताया कि खेजड़ी वृक्ष काटने के लिये प्रतिवादी को स्वीकृति लेनी चाहिये थी। सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या ① से ③ दोषी साबित होते हैं, किन्तु प्रथम गलती होने से खेजड़ी के प्रति वृक्ष 100/- रुपये कुल 18 वृक्ष के 1800/- रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। एवं काटे गये जब्दशुदा वृक्षों को खुली निलामी कर तहसीलदार रानीवाड़ा नीलामी राशि व उक्त 1800/- जुर्माना वसूलकर राजकोष में जमा करावे। एवं पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (प्रकाशचन्द्र अग्रवाल RAS) उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला–जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner